

न्यायालय— शरद जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड जिला
बडवानी म.प्र.

आप0प्र0क0— 143 / 2018
आर.सी.टी. कं. 136 / 18
संस्थापन दिनांक—02.05.2018

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला बडवानी म0प्र0

.....अभियोगी

विरुद्ध

प्रकाश पिता मगन उम्र 48 साल,
निवासी ठीकरी थाना ठीकरी
जिला बडवानी म0प्र0

.....अभियुक्त

// निर्णय //
(आज दिनांक 02.05.2018 को घोषित)

01— अभियुक्त प्रकाश के विरुद्ध 34 (1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 03.01.2018 को समय 19:50 बजे, स्थान— गाढा मैदान ईट भट्टे के पास ठीकरी पर आपके आधिपत्य में वैध अनुज्ञप्ति के बिना 10 लीटर कच्ची महुआ शराब देशी प्लेन शराब रखने का आरोप है।

02— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि, अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपराध स्वीकार किया गया है।

03— अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 03.01.2018 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति ठीकरी तरफ से अवैध रूप से शराब लेकर आ रहा है, सूचना पर विश्वास कर हमराही पंचान धर्मेन्द्र पिता कालु व सुभाष पिता मनोज को तलब कर सूचना से अवगत कराकर साथ लेकर गाढा मैदान के पास पहुंचे। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति बोराड नदी तरफ से हाथ में झोला लेकर आया जिसे रोककर नाम पता पूछते अपना नाम चुन्नीलाल पिता हरचंद का होना बताया। प्रकाश

निरंतर.....

के पास मिले झोले को चेक करते उसके अंदर हाथ भट्टी से बनी कच्ची शराब करीब 10 लीटर होना बताया। शराब लाने ले जाने का लायसेंस पूछने पर नहीं होना बताया। आरोपी प्रकाश का उपरोक्त कृत्य धारा 34 ए आबकारी एक्ट का पाया जाने से पंचान के समक्ष आरोपी प्रकाश के कब्जे से हाथ भट्टी से बनी कच्ची शराब करीब 10 लीटर जप्त की जाकर विधिवत् जप्ति व आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी के विरुद्ध थाने के अप0 क्र0 06 / 18 पर प्रथम सूचना पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत आरोपी प्रकाश पिता मगन के विरुद्ध अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी प्रकाश पिता मगन ने अपराध स्वीकार किया। अभियुक्त को दंड का परिणाम से अवगत कराया गया और उसे समझाया गया कि वह संस्वीकृती करने के लिये आबद्ध नहीं है। किन्तु अभियुक्त के द्वारा अपराध समझने के उपरांत प्रश्नगत दिनांक को अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के हाथ भट्टी से बनी कच्ची शराब करीब 10 लीटर रखना स्वीकार किया है। अतः स्वेच्छापूर्ण की गई संस्वीकृती के आधार पर अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

05— अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के आरोप में न्यायालय उठने की सजा एवं 1000 / — रु के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने पर 07 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

06— प्रकरण में जप्त शुद्धा देशी मदिरा मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
व दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देशन व बोलने पर
टंकित किया गया।

सही / —

सही / —

(शरद जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड जिला बड़वानी म0प्र0

(शरद जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड जिला बड़वानी म0प्र0